

ORDER - SHEET

JUDICIAL MAGISTRATE FIRST CLASS

of 20

Case No. 600 298/16
Order or Proceeding of Presiding Officer

Signature of
Parties or
pleaders where
Necessary

Date of
order of
Proceeding

आज आरक्षी के उपनिरीक्षक / सहायक
उपनिरीक्षक / प्रधान ~~के~~ के उपनिरीक्षक / सहायक
के 451/16 आरक्षक / आरक्षक 25039 से अपराध
भा0द0स0 / 185 MVA अंतर्गत धारा 185 MVA की ओर से
अपराध के संबंध में अभियुक्त / अधिनियम के अधीन दण्डनीय
पत्र / परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग
राज्य द्वारा ए0डी0पी0ओ0 श्री 185 MVA उपप0।

अभियुक्त / अभियुक्तगण ~~द्वारा~~ ~~द्वारा~~ ~~द्वारा~~

2-~~जान~~ निवासी / निवासीगण ~~द्वारा~~ ~~द्वारा~~ ~~द्वारा~~
थाना ~~250~~ जिला ~~250~~ राज्य ~~250~~
उपस्थित। अभियुक्त / अभियुक्तगण की ओर से अधिवक्ता।
श्री ~~250~~ द्वारा भोगरेण्डम / वकालतनामा प्रस्तुत
किया।

अभियोग पत्र / परिवाद पत्र समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया गया

है।

प्रकरण में संज्ञान के विषय पर विचार किया गया। अभियोग
पत्र / परिवाद पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से प्रथम दृष्टया
अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्तानुसार
भा0द0स0 / 185 MVA अधिनियम के अधीन कार्यवाही किये जाने के
आधार प्रकट हो रहे हैं। अतः अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा
190-(1) द0प्र0स0 के अधीन रजान लिये जाने का आदेश किया जाता है।

प्रकरण का पंजीयन आपराधिक पंजी 600 298/16 में दर्ज
किया जावे।

अभियुक्त / अभियुक्तगण द0प्र0स0 की धारा 207 के अधीन प्रावधानों
के प्रकाश में अभियोग पत्र एवं दस्तावेजों के पंजीयन पत्रों निशुल्क दिनांक

तुंकि आपराध जमानत के लिए अभियुक्त / अभियुक्तगण
द्वारा 7000/- (रुपये) का जमानत प्रस्तुत किया जावे।
अभियुक्त / अभियुक्तगण पर

धर्म

स भगताया जाय ।

(2) public good